



क्रमांक : ७९९ / अका. / 2023

रायपुर, दिनांक : 26/09/2023

## ॥ अधिसूचना ॥

छत्तीसगढ़ विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 की धारा 30(1)(चार) के अंतर्गत माननीय कुलपति जी द्वारा विद्यासंबंधी योजना एवं मूल्यांकन बोर्ड में सदस्य विश्वविद्यालय से संबद्ध महाविद्यालयों के दो आचार्यों के नामों का मनोनयन किया गया है, जो निम्नांकित है :-

1. प्रो. किरण गजपाल  
शास. दू.ब. महिला स्नातकोत्तर महाविद्यालय, रायपुर
2. प्रो. पी.सी. चौबे,  
शास. नागार्जुन स्नातकोत्तर विज्ञान महाविद्यालय, रायपुर

इनका कार्यकाल अधिसूचना की निर्गमन तिथि से तीन वर्ष के लिए होगी।

आदेशानुसार,

कुलसचिव

पृ.क्रमांक : ७९९ / अका. / 2023

रायपुर, दिनांक : 26/09/2023

प्रतिलिपि :-

1. माननीय राज्यपाल महोदय के अवर सचिव, छत्तीसगढ़, राजभवन, रायपुर (छ.ग.)
2. सचिव, उच्च शिक्षा छत्तीसगढ़ शासन, महानदी भवन मंत्रालय, अटल नगर, नवा रायपुर
3. सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, वित्त विभाग मंत्रालय, महानदी भवन, अटल नगर, नवा रायपुर
4. आयुक्त, उच्च शिक्षा, ब्लॉक-सी-30, द्वितीय एवं तृतीय तल, इन्द्रावती भवन, अटल नगर, नवा रायपुर
5. विद्यासंबंधी योजना एवं मूल्यांकन बोर्ड के समस्त सदस्यों को
6. प्रो. किरण गजपाल, शास. दू.ब. महिला स्नातकोत्तर महाविद्यालय, रायपुर
7. प्रो. पी.सी. चौबे, शास. नागार्जुन स्नातकोत्तर विज्ञान महाविद्यालय, रायपुर
8. उप कुलसचिव, प्रशासन/परीक्षा/सहा.कुलसचिव, गोपनीय/वित्तनियंत्रक/प्रभारी, आवासीय अंकेक्षण अधिकारी, पं.रविशंकर शुक्ल वि.वि., रायपुर
9. संचालक, महाविद्यालय विकास परिषद/अधिष्ठाता, छात्र कल्याण/प्रभारी जनसंपर्क अधिकारी, पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर (छ.ग.)
10. कुलपति/कुलसचिव के निज सहायक, पं. रविशंकर शुक्ल वि.वि., रायपुर, को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

उप-कुलसचिव (अका.)